

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय-मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मऊ परिसर में स्थित निम्नलिखित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नीलामी की कार्यवाही का सम्पादन किये जाने हेतु दिनांक 10.03.2025 को निर्धारित की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए शेष दुकानों की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 19.03.2025 को समय 1:30 बजे दिन में न्यायालय के सभाकक्ष में होनी प्रस्तावित है। दुकान स्थान हेतु नीलामी निम्नलिखित शर्त के अधीन की जायेगी।

1. नीलामी में बोली बोलने हेतु वे व्यक्ति ही अर्ह होंगे जो बोली बोलने के पूर्व निर्धारित सेक्योरिटी धनराशि जो निम्नवत है, जनपद न्यायालय मऊ के नजारत अनुभाग में जमा करेंगे।

क्रम सं०	दुकान की नीलामी	जमानत धनराशि
1-	जलपान दुकान नं. 1	36311.00
2-	जलपान दुकान नं. 2	18546.00
3-	फलशर्बत दुकान नं. 1	7711.00
4-	फलशर्बत दुकान नं. 2	2299.00
5-	फोटो स्टेट दुकान नं. 1	23661.00
6-	फोटो स्टेट दुकान नं. 2	20878.00
7-	स्टेशनरी	3097.00
8-	चना ठेला	2750.00
9-	पान की दुकान नं. 1	5522.00
10-	पान की दुकान नं. 2	4499.00

2. नीलामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होगी और ठेका यदि पहले किसी कारण से समाप्त नहीं किया गया तो 31.03.2026 को वित्तीय वर्ष पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकार की जायेगी वह निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध होगा।

(क) वह ठेके को स्वतः चलायेगा अन्य किसी व्यक्ति को ठेका चलाने की अनुमति नहीं देगा। वह व्यक्ति अपनी दुकान को किसी अन्य रिश्तेदार सगे सम्बन्धी को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि दुकान के स्थानान्तरण की बात सझान में ली गई तो जिला जज महोदय को अधिकार होगा कि उस दुकान का ठेका निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लेंगे।

(ख) किसी अवांछनीय व्यक्ति को दुकान के स्थान पर एकत्रित नहीं करेगा एवं दुकान पर प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेगा जिससे खाद्य पदार्थ या उपर्युक्त प्रयोजन हेतु प्रयोग होने वाले सामानों को छोड़कर दुकान में किसी अन्य वस्तु को न तो संग्रह करेगा और न बेचेगा और न उन्हें विक्रय हेतु प्रदर्शित करेगा। सामान बाजार मूल्य या उस मूल्य पर जो जिला जज द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाय, बेचे जायेंगे।

(ग) खाद्य सामग्री शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक एवं अनापत्तिजनक होगी तथा उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जैसा जिला जज द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट आदेशित किया जाय।

(घ) कैण्टीन के लिए प्रयोगार्थ स्थान स्वच्छ प्रदूषण रहित सदैव रखना होगा और सभी बचाव के उपाय करने होंगे ताकि खाद्य पदार्थ पर मक्खियाँ धूल व अन्य कोई गन्दगी न पहुँच सके।

(च) दुकान के सम्बन्ध में जिला जज के निर्णयों से आबद्ध होना पड़ेगा और जिला जज का आदेश अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(छ) लाइसेंस लिखित रूप से एक माह की पूर्व सूचना पर भी जिला जज महोदय द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

(ज) विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य सामग्री अस्वास्थ्यकारी एवं आपत्तिजनक पाये जाने पर उसकी बिक्री प्रतिबन्धित की जा सकेगी और उस स्थिति में उस सामान को नष्ट करना होगा और यदि पुनः उस प्रकार का अस्वास्थ्यकारी और आपत्तिजनक खाद्य सामग्री की बिक्री होती प्रदर्शित की जायेगी या उसकी बिक्री होती पायी जायेगी तो बिना किसी क्षति पूर्ति या पूर्ति या पूर्व सूचना के ठेकेदार का लाइसेंस समाप्त कर दिया जा सकेगा।

(झ) नीलामी के समय सबसे ऊँची बोली बोलने की बोली की चौथाई धनराशि तत्काल जमा करना होगा। समय से धनराशि न जमा करने पर जिला जज महोदय को लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं दूसरे नम्बर पर बोली बोलने वाले को दुकान दे दिया जायेगा।

(ट) ठेकेदार नगर पालिका के द्वारा लगाये जाने वाले टैक्स, यदि कोई हो, अदायगी का जिम्मेदार होगा।

(ठ) विशेष परिस्थिति में जिला जज महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये ही लाइसेंस समाप्त कर दें।

(ड) जिला जज महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वह सबसे ऊंची बोली बोलने वाले की नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें।

(ढ) जिस ठेकेदार के पास किसी ठेके से सम्बन्धित वर्तमान समय में कोई धनराशि बकाया रहती है या बकाया है, वह ठीके में भाग नहीं ले सकेगा और यदि वह किसी प्रकार ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो उसका ठेका जिला जज महोदय द्वारा इस बात की जानकारी होने पर निरस्त किया जा सकेगा और ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान की नीलामी पुनः की जायेगी।

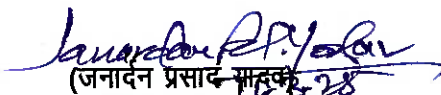
(त) एक व्यक्ति द्वारा एक ही दुकान की बोली में भाग लिया जा सकता है।

(थ) नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले व्यक्ति फोटो युक्त पहचान पत्र/ आधार कार्ड की फोटो कापी नीलामी कार्यवाही के पूर्व जमा करेंगे।

(द) जो ठेकेदार वर्ष 2024-25 में ठेके की धनराशि पूर्ण रूप से जमा नहीं किए हैं वे ठेकेदार वर्ष 2025-26 की नीलामी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे।

(य) ठेके की समस्त धनराशि दिनांक 31.01.2026 तक नजारत में आवश्यक रूप से जमा किया जायेगा। ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा न होने पर नीलामी रिरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक: 11.03.2025


(जनार्दन प्रसाद माहपात्र)
सदस्य, दुकान नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश / एफ.टी.सी-1
जनपद न्यायालय मऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।

- 1- माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापन कराये जाने हेतु।
- 4- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
- 5- विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
- 6- कलेक्ट्रेट, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 7- तहसील, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 8- जिला पंचायत, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 9- नगर पालिका, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।


(अशोक कुमार)

अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-1
जनपद न्यायालय मऊ।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय-मऊ।

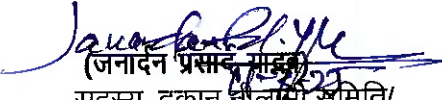
सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय मऊ परिसर में स्थित निम्नलिखित दुकानों की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नीलामी के कार्यवाही का सम्पादन किये जाने हेतु पूर्व में दिनांक 10.03.2025 की तिथि निर्धारित की गई थी। जिसमें इटपट फोटो की नीलामी होने के पश्चात् निम्नलिखित दुकानों की नीलामी होना शेष है। शेष दुकानों की नीलामी की कार्यवाही पुनः दिनांक 19.03.2025 को समय 1:30 बजे दिन में न्यायालय के सभागार में नीलामी की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में नीलामी की शर्तों को न्यायालय के सूचनापट्ट पर चस्पा किया गया है।

अतः नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति सूचनापट्ट पर चस्पा शर्तों के अनुसार दिनांक 19.03.2025 को समय 1:30 बजे दिन में न्यायालय के सभागार में उपस्थित होने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु नजारत अनुभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विवरण दुकान

- 1- कैन्टीन - 02 अदद
 - 2-फल शर्बत - 02 अदद
 - 3-चना ठेका - 01 अदद
 - 4-फोटो स्टेट - 02 अदद
 - 5-स्टेशनरी - 01 अदद,
 - 6-पान की दुकान - 02 अदद
- दिनांक: 11.03.2025


(जगमोहन प्रसाद, साहू)
सदस्य, दुकान नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी-1
जनपद न्यायालय मऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।

- 1- माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय, मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 3- सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञापन कराये जाने हेतु।
- 4- जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर।
- 5- विकास भवन के नोटिस बोर्ड पर।
- 6- कलेक्ट्रेट, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 7- तहसील, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 8- जिला पंचायत, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।
- 9- नगर पालिका, मऊ के नोटिस बोर्ड पर।


(अशोक कुमार)

अध्यक्ष, दुकान नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-1
जनपद न्यायालय मऊ।